| नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ | तारीख हुक्म | अजयकुमार / कुलदीप आदि मु.नं. 164/17 <br> हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ |
|---|---|---|---|
| | 25/5/18 | आज यह पत्रावली/न्याय मित्र की रि[illegible] <br> केस फाइलों के [illegible] वादी के <br> अजय कुमार के [illegible] <br> पेश वकील वादी सुनी गयी। <br> वाद वादी मुताबिक [illegible] <br> [illegible] एवं [illegible] की जानी <br> है तो देखे [illegible] फाइली [illegible] <br> के खाता संख्या 813 कुल 0.758 है व <br> इसी तरह के खाता संख्या 575 की 5.058 <br> है० व खाता संख्या 616 की 20.576 की <br> के प्रतिवादी कुलदीप के नाम [illegible] <br> वादी व प्रतिवादी का। तीनों [illegible] <br> 72 दिन के खातेदार [illegible] <br> अनुसार [illegible] रिकार्ड [illegible] है वादी <br> [illegible] के [illegible] 200 [illegible] के <br> [illegible] <br> [illegible] <br> पत्रावली [illegible] <br> शामिल हो। <br> RW. [illegible] | [illegible] |

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

**पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस**

**प्रकरण सं० 164/17**

**अनवान :** 1. अजयकुमार पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. अभिषेक पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. कुलदीप पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. बैंक ऑफ बडोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।**

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 मुन्सरी में वकीलवादी श्री भानुप्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक मुन्सरी बारानी के खाता सं० 3/3 के ख० न. 351 की 0.101 है0, ख0न0 568/354 की 0.658 है0 कुल 0.759 है0 व इसी चक के खाता सं0 5/5 के ख0न0 349 की 5.058 है0 व खाता सं0 6/4 के ख0न0 104 की 2.239 है0, ख0न0 228 की 0.645 है0, ख0न0 326 की 12.583 है0, ख0न0 354 की 3.073 है0, ख0न0 434/352 की 0.291 है0, ख0न0 442/390 की 1.745 है0 कुल 20.576 है0 में प्रतिवादी कुलदीप का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 तीनों को बहिस्सा बराबर 1/2 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा, जिला हनुमानगढ